तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21.11.25 को पेश हो ह०
21/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है. अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22.11.25 को पेश हो ह०
22/11/25	पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व रिपोर्ट TOR का अवलोकन करने पर प्रार्थिया कालीबाई एवं धनकेवर एक ही महिला होना स्पष्ट होने से प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त मीना (R.A.S.)

मिसल नं0 224/दावा/2024(2024/209)	तारीख दायरा 20.11.2024	तारीख फैसला 22.01.2025

काली बाई उर्फ धनकंवर उम्र 54 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नी श्री मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम देहित हाल निवासी गन्दीफली कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

वादीनी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री रामरतन सुमन
अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एलआर एक्ट

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1620/1011 रकबा 1.4650 हैक्टेयर नहरी वाके ग्राम देलून्दा तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादीनी का 2/9 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। वादीनी वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादीनी के पिता भंवरलाल जी की मृत्यू के उपरान्त वाद वर्णित भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादीनी का बोलता नाम काली बाई दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादीनी का सभी दस्तावेजो में नाम धनकंवर पत्नी श्री मोहनलाल जाति माली अंकित है। वादीनी की भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है का जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर मुझ वादीनी का बोलता नाम काली बाई ही दर्ज किया जबकि मुझ वादीनी द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बध में शुद्विकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम काली बाई ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन– फानन मे वादीनी का नाम काली बाई ही दर्ज कर दिया तथा वादवर्णित कृषि भूमि मे वादीनी के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादीनी काली बाई उर्फ धनकंवर एक ही महिला है जिसका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा काली बाई उर्फ धनकंवर एक ही महिला होने के कारण राजस्व रिकार्ड में काली बाई उर्फ धनकंवर दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। वादिनी द्वारा एक माह पूर्व तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्वीकरण के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा वादीनी की बात नहीं सुनी गई एवं वादीनी के नाम शुद्धिकरण के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की गई। गलत नाम दर्ज होने से वादीनी को उक्त भूमि के सम्बंध में केसीसी, सरकारी / गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। गलत नाम दर्ज होने से वादीनी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाता है लेकिन वादीनी की वाद आवश्यक प्रवृति का है तथा प्रतिवादी सं 1 वादीनी की खातेदारी की वादवर्णित भूमि को सिवायचक दर्ज करने पर आमादा हो रहे है यदि 2 माह पूर्व का नोटिस दिया गया तो वादीनी वाद प्रस्तुती का अभिप्रायः ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रतिवादी सं.1 वादीनी को नुकसान कारित करने के मकसद मे कामयाब हो जायेंगे । वादीनी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखती है कि वादीनी की भूमि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के अधार पर एवं दस्तावेजो के आधार तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः वादीनी के खाते की भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर वादीनी का नाम काली बाई उर्फ धनकंवर पत्नी मोहनलाल जाति माली दर्ज कर अंकित करे। उक्त भूमि ग्राम देलुन्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः प्रार्थना है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1620/1011रकबा 1.4650 हैक्टेयर नहरी वाके ग्राम देलून्दा तालेड़ा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान की भूमि पर वर्तमान में वादीनी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम काली बाई उर्फ धनकंवर पत्नी मोहनलाल जाति माली के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी मे काली बाई उर्फ धनकंवर दर्ज कर शुद्वीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से जर्ये तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 146 दिनांक 16.1.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मृतक भंवरलाल आ0 मोहना कोम माली की पुत्री कालीबाई व धनकंवर एक ही महिला है। पत्र के समर्थन में तहसीलदार तालेडा द्वारा पटवारी जांच रिपोर्ट पेश की गई । जिसके अनुसार ग्रामवासियान् देहित ने कालीबाई एवं धनकंवर को एक ही महिला बताया है।

वादीनी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 410 वाके ग्राम देलून्दा , आधारकार्ड की प्रति , बैंक पासबुक , शपथ पत्र स्वयं का , शपथ पत्र हेमराज आ0 उंकार माली एवं बीनासेन पत्नि जितेन्द्र सेन का पेश किया गया।

वकील वादीनी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीनी के पिता भंवरलाल जी की मृत्यू के उपरान्त वाद वर्णित भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादीनी का बोलता नाम काली बाई दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादीनी का सभी दस्तावेजो में नाम धनकंवर पत्नी श्री मोहनलाल जाति माली अंकित है। जबकि वादीनी का वास्तविक नाम धनकंवर है और कालीबाई एवं धनकंवर एक ही महिला है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित होती है। अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी का राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कर धनकंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि मोहनलाल जाति माली अंकित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादीनी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए कालीबाई के स्थान पर कालीबाई उर्फ धनकंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि मोहनलाल जाति माली अंकित करते हुए प्रा0पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना स्वीकार किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि कालीबाई पुत्री भंवरलाल एवं धनकंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि मोहनलाल जाति माली ग्राम देहित में दो अलग अलग महिला नही होकर एक ही महिला धनकंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि मोहनलाल जाति माली है। अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी के खातेदारी में स्थित कृषि भुमि खसरा संख्या 1620/1011 रकबा 1.4650 हैक्टेयर हिस्सा 2/9 वाके ग्राम देलून्दा पटवार हल्का देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है, में दस्तावेजो एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के आधार पर जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज कालीबाई पुत्री भंवरलाल के स्थान पर कालीबाई उर्फ धनकंवर पुत्री भंवरलाल नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा